आवश्यक

संख्या:51/2020/1992/12-2-2020-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

विषय: यूरिया उर्वरक के टॉप 20 बायर्स की जांच/सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 24/2020/1615/12-2-2020-एफ.42/2001 दिनांक 11 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ, 2020 (माह अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020) तक यूरिया उर्वरक के टॉप-20 बायर्स की जांच/सत्यापन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 05 अगस्त, 2020 तथा संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 10 अगस्त, 2020 (छाया प्रतियॉ संलग्न) द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से यूरिया के टॉप-20 क्रेताओं का नियमित रूप से जांच/सत्यापन कराते हुए संगत डैशबार्ड पर सूचनायें अपलोड कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: माह अगस्त एवं सितम्बर, 2020 के यूरिया टॉप-20 क्रेताओं की सूची पोर्टल से प्राप्त करके पूर्व की भॉति टीम गठित करते हुए दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 तक जांच/सत्यापन कराते हुए सूचनायें डैशबार्ड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. इसी प्रकार माह अक्टूबर, 2020 की लिस्ट पोर्टल से दिनांक 01 नवम्बर, 2020 को एवं आगामी प्रत्येक माह में पोर्टल से लिस्ट निकाल कर माह की 10 तारीख तक जांच/सत्यापन कराकर दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराते हुए सूचनायें भारत सरकार की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए उसकी प्रति कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:51/2020/1992(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 05 अगस्त, 2020 के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 10 अगस्त, 2020 के संदर्भ में।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।